


46

निगरानी 2206-II-15

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म०प्र०



Rs. 40/-

197
15.6.15

रामखेलावन सिंह तनय श्री रामाधार सिंह, निवासी ग्राम मढा (हाल मुकाम)
रुहिया तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र० —————निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- रामप्रसाद सेन तनय श्री रामसजीवन सेन, निवासी ग्राम केमार तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०
- 2- मातादीन सेन तनय रामस्वरूप सेन, सा० बड़हरी, तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०
- 3- गजाधर तनय रामदुलारे ब्रा०, सा० बड़हरी, तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०
- 4- रामवक्स तनय शिवलाल सेन सा० बड़हरी, तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०
- 5- केदार सेन तनय रामस्वरूप सेन, सा० बड़हरी, तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०
- 6- सियाशरण तनय भीमसेन, निवासी ग्राम केमार तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०
- 7- सन्तुलाल तनय बाबूलाल साकेत, निवासी ग्राम केमार तह० अमरपाटन, जिला सतना म०प्र०

गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. प्रसाद सिंघोदी
द्वारा आज दिनांक 15.6.15 को
संलग्न किया गया।

सिंघोदी
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (म०प्र०)
भू-राजस्व संहिता 1959 ई० विरुद्ध आदेश
न्यायालय अपर आयुक्त रीवा जिला म०प्र०
प्रकरण क्रमांक 242/अपील/2008-09
निर्णय दिनांक 15/05/2015

क्रमांक 5861

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज


संक्षिप्त विवरण :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-नि.2206-II/15

जिला-सतना

रामखेलावन/रामप्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	